न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) , झांसी।

मुकदमा नं०- 388/ 2021

प्रदीप कुमार अग्रवाल आदि बनाम संचित मिश्रा आदि।

दिनांक- 31. 03. 2022

निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 5 ग 2

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 5 ग 2 पर बल दिया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा उन्हें अनेक अवसर प्रदान किये गये, परन्तु उनके द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के संदर्भ में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

पत्रावली का सम्यक अध्ययन तथा परिशीलन किया गया।

संक्षेप में प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 5 ग 2 प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूखण्ड, जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में ABCDEF से दर्शित किया गया है,में जबरजस्ती कब्जा करने तथा इसमें पुर्ननिर्माण, अतिक्रमण, दरवाजा,खिडकी,रोशनदान व छज्जा अवैध रूप से बना रहे हैं एवं वादीगण के शान्तिपूर्ण अध्यासन व उपयोग व उपभोग में अवैध रूप से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में न्यायालय से यह याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को विवादित भूखण्ड, जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में ABCDEF से दर्शित किया गया है, में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व अवरोध उत्पन्न करने से रोका जाये।

वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची पत्र 11 सी के माध्यम से विवादित भूखण्ड के संदर्भ में एक किता असल बैनामा दिनांकित- 28. 07. 2014 12 ए 1/ 1 लगायत 12 ए 1/ 21, एक किता असल बैनामा दिनांकित- 03. 07. 2014 13 ए 1/ 1 लगायत 13 ए 1/ 8, दो किता नकल खतौनी 14 सी1, एक किता नकल खसरा 15 सी, एक किता फोटो स्टेट दावा 145 उपजिला मजिस्ट्रेट 16 सी1/ 1 लगायत 16 सी1/ 3, एक किता नकल बैनामा 17 सी1 दाखिल किया गया है।

अवलोकनीय है कि वादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड, जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में ABCDEF से दर्शित किया गया है,के संदर्भ में पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र 12 क 1 तथा 13 क 1मय नक्शा तथा नकल उद्धरण खतौनी14 ग 1 एवं नकल खसरा 15 ग 1 दाखिल किया गया है, जिसमें वादीगण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रश्नगत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। इसके अतिरिक्त विवादित सम्पत्ति के संदर्भ में न्यायालय अमीन द्वारा आख्या मय नक्शा नजरी कागज सं०- 27 ग 1 प्रस्तुत की गयी है। विवादित सम्पत्ति के संदर्भ में वादपत्र नक्शा नजरी एवं न्यायालय अमीन द्वारा प्रस्तुत नक्शा नजरी में कोई तात्विक विरोधाभास इस स्तर पर परिलक्षित नहीं होता है।

ऐसे में मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस विदमान है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूखण्ड पर निर्माण इत्यादि किये जाने से वादीगण को न केवल अपूर्णनीय क्षति होगी, अपितु वर्तमान मूलवाद का उद्देश्य भी निष्फल हो जायेगा। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुविधा संतुलन का भार भी वादीगण के पक्ष में है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5 ग 2 एक पक्षीय रूप से निस्तारित करते हुए, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूखण्ड, जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में ABCDEF से दर्शित किया गया है, के संदर्भ में वादीगण के शांतिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें एवं अवैध रूप से निर्माण अथवा तोड़फोड़ न करें तथा मौके पर यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक- 16. 05. 2022 को पेश हो।

सिविल जज(जू०डि०) , झांसी।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPJS060005942021/truecopy/order-3.pdf